न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज(जू0 डि0), रामनगर जिला नैनीताल

उपस्थित :— कुलदीप नारायण (उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा)

निर्णय की तिथि : 04.01.2024

फौजदारी वाद संख्या : 725/2022

सी.एन.आर. संख्या : UKNA0C-001042-2022

धारा—138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881

थाना—रामनगर, जिला नैनीताल

परिवादी	अमर सिंह पुत्र गुरदास राम निवासी ग्राम कुवंरपुर गैबुआ जिला नैनीताल।
परिवादी के विद्वान अधिवक्ता	श्री संतोष देवरानी।
अभियुक्त	मै0 काशिफ पुत्र ममनून रागिब निवासी गंगे बाबा रोड, किला स्ट्रीट, काशीपुर जिला उधमसिंह नगर। कार्यरत राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरबरखेडा जसपुर जिला उधमसिंह नगर।
अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता	श्री सिदार्थ अग्रवाल।
परिवाद प्रस्तुत करने की तारीख	11.10.2022
अभियोग का सारांश बताये जाने का दिनांक	05.07.2023
साक्ष्य प्रारम्भ का दिनांक	27.06.2023
निर्णय सुरक्षित रखने का दिनांक	02.01.2024
निर्णय का दिनांक	04.01.2024
सजा आदेश की तारीख, यदि कोई हो	04.01.2024

अभियुक्त का विवरणः

अभियुक्त की रैंक	नाम अभियुक्त	गिरफ्तारी/आत्म समर्पण का दिनांक	जमानत पर रिहा होने का दिनांक	आरोपित अपराध	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	अधिरोपित सजा	विचारण के दौरान भोगे गये निरोध की अवधि

1.	मौ0 कासिफ			परकाम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138,	दोषसिद्ध	**01 वर्ष के साधारण कारावास एवं 8,50,000 ∕–रुपये के अर्थदंड**	

निर्णय

प्रस्तुत परिवाद परिवादी अमर सिंह द्वारा अभियुक्त मौ0 कासिफ के विरूद्ध परकाम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अन्तर्गत संस्थित किया गया है।

2. संक्षेप में परिवाद पत्र के कथन इस प्रकार हैं कि विपक्षी के द्वारा परिविाी से मु0 7,00,000 ∕– सात लाख रूपये आपसी जान पहचान होने के कारण अपनी घरेलू अति आवश्यकता बताते हुये डेढ माह पूर्व बतौर उधार लिये थे तथा कुछ समय बाद लौटाने के आश्वासन दिया था। जब विपक्षी द्वारा दिये गये समय के मुताबिक परिवादी को रूपये नही लौटाये गये तो परिवादी द्वारा तकाजा करने पर विपक्षी द्वारा उक्त उधार ली गई धनराशि के भुगतान स्वरूप एक चैक नं0–294092 मु0 7,00,000 ∕– सात लाख रूपये दिनांक 24.06.2022 अपने बैक एक्सेस बैंक लि0 शाखा काशीपुर अपने हस्ताक्षर कर परिवादी को दिया और विश्वास दिलाया कि उक्त चैक को बैंक में प्रस्तुत करने पर भुगतान हो जायेगा। विपक्षी की बात पर विश्वास कर परिवादी ने उक्त चैक को वास्ते भुगतान दिनांक 02.08.2022 को उत्तराखण्ड ग्रामीण बैक शाखा रामनगर जिला नैनीताल में प्रस्तुत किया तो बैंक द्वारा अपने रिर्टन मैमो दिनांक 03.08.2022 की टिप्पणी '' फण्ड इनसफसियेन्ट'' उक्त चैक अनादृत कर परिवादी को वापस कर दिया। परिवादी द्वारा विपक्षी को चैक अनादृत होने की मौखिक सूचना दी परन्तु विपक्षी सुनवा नही हुये जिस कारण परिवादी द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से चैक अनादृत होने बावत् कानूनी नोटिस दिनांक 26.08.2022 को पंजीकृत डाक में से विपक्षी के दोनो पतो पर प्रेषित करवाया गया उक्त पंजीकृत डाक में से विपक्षी के घर के वाली डाक पर पोस्टमैन की टिप्पणी '' प्राप्तकर्ता का पता नही चला'' दिनांक 05.09.2022 उक्त पंजीकृत डाक मूल रूप से परिवादी के अधिवक्ता के पास वापस आ गई और विपक्षी के आफिस के पते वाली डाक पर पोस्टमैन

की टिप्पणी '' प्राप्तकर्ता विगत कई सप्ताह से विद्यालय नही आ रहे है '' दिनांक 15.09.2022 उक्त पंजीकृत डाक भी मूल रूप से परिवादी के अधिवक्ता के पास वापस आ गई कानूनन उक्त पंजीकृत डाक की तामिली विपक्षी पर दिनांक 15.09.2022 मानी जायेगी। विपक्षी को भलि भॉति ज्ञात था कि उसके खाते में पर्याप्त धनराशि नही है फिर भी विपक्षी के द्वारा जानबूझकर उक्त चैंक परिवादी को दिया गया जो कि बैंक द्वारा अनादृत कर दिया गया है इस प्रकार विपक्षी द्वारा किया गया कृत्य एन.आई.एक्ट की धारा 138 अतः परिवादी द्वारा अभियुक्त को न्यायालय में तलब कर दण्डित करने तथा चैक में वर्णित धनराशि के दुगुने प्रतिकर के रूप में दिलाये जाने के आदेश पारित करने की प्रार्थना की गयी।

3. परिवादी ने परिवाद पत्र के समर्थन में धारा–200 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत स्वयं का साक्ष्य शपथपत्र पेश किया।

4. पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला पाते हुंए अभियुक्त मौ0 कासिफ को धारा 138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम 1881 के अपराध के परीक्षण हेतु न्यायालय में तलब किया गया।

5. अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थित होने के पश्चात दिनांक 05.07.2023 को अभियुक्त को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 251 के अन्तर्गत अभियोग का सारांश बताया गया। अभियुक्त द्वारा परिवादी कथानक को गलत बताते हुए स्पष्ट रूप से कथन किये गये कि ''चैक दिया था, परन्तु ब्लैक दिया था। सिक्योरिटी में चैंक दिया। मुझे चार लाख तेरह हजार रूपये देना है।''

6. परिवादी द्वारा अपने परिवाद के समर्थन में स्वयं का साक्ष्य शपथपत्र पत्रावली पर 4क/1 प्रस्तुत किया गया है तथा न्यायालय द्वारा 4क/1 अमर सिंह को परीक्षित कराया गया है। अन्य कोई साक्ष्य परिवादी की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया।

7. परिवादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रश्नगत चैक संख्या 294092 एक्सेस बैंक लि0 शाखा काशीपुर दिनांक 24.06.2022 कागज संख्या 6क/2, प्रदर्श क–1 रिटर्निंग मैमों दिनांक 03.08.2022 कागज संख्या 6क/3, प्रदर्श क–2, नोटिस दिनांकित 26.08.2022 कागज संख्या 6क/4, प्रदर्श क–3, डाक रसीद प्रदर्श क–4 कागज संख्या 6क/5, विपक्षी को भेजे

गये नोटिस का मूल लिफाफा मय ए0डी कार्ड प्रदर्श क–5 कागज संख्या 6क/6, नोटिस वापसी ए0डी0 कार्ड प्रदर्श क–6 कागज संख्या 6क/7 आदि प्रपत्र पत्रावली पर प्रस्तुत किये गये।

8. परिवादी साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त दिनांक 19.12.2023 को अभियुक्त के बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 अंकित किये गये। जिसमें अभियुक्त ने कथन किये कि "चैक नही दिया। परन्तु चैक पर मेरे हस्ताक्षर है। मैनें ब्लैक चैक साइन किये थे झूठा फंसाया है।" अभियुक्त द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में बचाव साक्ष्य पेश करने का कथन किया गया, किन्तु अभियुक्त द्वारा अपने बचाव में कोई भी मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

9. न्यायालय द्वारा परिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री संतोष देवरानी तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री सिदार्थ अग्रवाल की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का सम्यक अवलोकन किया। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान कथन किये गये कि उनके द्वारा प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम का अपराध पूर्णतः सिद्ध होता है। अतः अभियुक्त को दण्डित किये जाने की याचना की गयी। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान कथन किये गये कि अभियुक्त द्वारा परिवादी को चैक में वर्णित धनराशि का भुगतान किया जा चुका है। अतः अभियुक्त दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

निष्कर्ष

10. परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को दोषसिद्ध करने हेतु सर्वप्रथम परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 की धारा 138 में दी गयी अवधारणाएं पूर्ण होनी आवश्यक हैं।

11. परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 की धारा 138 यह प्रावधानित करती है कि –

खाते में धन की अपर्याप्तता इत्यादि के कारण चैक अनादर– "जब एक व्यक्ति किसी बैंकार के पास अपना खाता रखता है और उसे बनाये रखता है, उक्त खाते से भुगतान हेतु किसी राशि का कोई चैक किसी व्यक्ति को किसी ऋण अथवा अन्य दायित्व के आंशिक या पूर्ण भुगतान स्वरूप प्रदान करता है और उक्त चैक बैंक द्वारा बिना भुगतान किये इस कारण वापस कर

दिया जाता है कि उक्त खाते में धन की अपर्याप्तता है या खाता धारक एवं बैंक के मध्य करार द्वारा निश्चित की गई धन भुगतान सीमा से, चैक द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि अधिक है तो ऐसा व्यक्ति अपराध करने का दोषी माना जायेगा और वह अधिनियम के किसी प्रावधान को प्रभावित नहीं करेगा और वह ऐसे कारावास से दण्डित {जिसकी अवधि दो वर्ष हो सकती है} या चैक की धनराशि के दो गुने अर्थदण्ड से दण्डित किया जायेगा या अर्थदण्ड और कारावास दोनों से दण्डित किया जायेगा।''

इस धारा के प्रावधान उस समय तक प्रभावी नहीं होंगे जब तक कि—

(क) चैक, जारी किये जाने की तिथि से {तीन माह} के अन्दर अथवा वैधता की तिथि तक, जो अग्रिम हो, बैंक को प्रस्तुत न किया हो,

(ख) आदाता या सम्यक में धारक, जैसी कि स्थिति हो, कथित राशि के भुगतान की मांग चैक के आदेश से चैक के भुगतान न होने एवं वापसी की सूचना प्राप्ति के {तीस दिनों के भीतर} करे, और

(ग) ऐसे चैक का आदेशक आदाता को या सम्यक अनुक्रम में धारक, जैसी कि स्थिति हो, को उक्त धनराशि का भुगतान उक्त नोटिस की प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के भीतर करने में असफल होता है।

स्पष्टीकरण —इस धारा के उद्देश्य से ''ऋण या अन्य दायित्व'' का अर्थ विधितः अनुयोज्य ऋण या अन्य दायित्व है।

12. परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अपराध हेतु परिवादी द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं को साबित किया जाना है—

(i) क्या परिवादी को अभियुक्त द्वारा प्रश्नगत चैक संख्या 294092 रूपये 7,00,000/— दिनांकित 24.06.2022 एक्सेस बैंक लि0 शाखा काशीपुर का किस विधितः प्रवर्तनीय ऋण अथवा अन्य दायित्व को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से निर्वाह करने हेतु अपने खाते का दिया गया?

(ii) क्या प्रश्नगत चैक भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत करने पर

बैंक द्वारा अनादरित कर दिया गया?

(iii) क्या परिवादी द्वारा धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के परन्तुक (ग) के अनुसार विधिक नोटिस की तामीली के उपरान्त भी अभियुक्त ने परिवादी को चैक की धनराशि अदा नहीं की?

(iv) क्या अभियुक्ता धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अन्तर्गत दोषसिद्ध किये जाने योग्य है?

13. प्रथम अवधारित बिन्दु के सम्बन्ध में परिवादी द्वारा कथन किये गये हैं विपक्षी के द्वारा परिवादी से मु0 7,00,000/- सात लाख रूपये आपसी जान पहचान होने के कारण अपनी घरेलू अति आवश्यकता बताते हुये डेढ माह पूर्व बतौर उधार लिये थे तथा कुछ समय बाद लौटाने के आश्वासन दिया था। विपक्षी द्वारा दिये गये समय के मुताबिक परिवादी को रू0 नही लौटाये गये तो परिवादी द्वारा तकाजा करने पर विपक्षी द्वारा उक्त उधार ली गई धनराशि के भुगतान स्वरूप एक चैक नं0 294092 मु0 7,00,000/- सात लाख रूपये दिनांक 24.06.2022 अपने बैक एक्सेस बैंक लि0 शाखा काशीपुर पर अपने हस्ताक्षर कर परिवादी को दिया और विश्वास दिलाया कि उक्त चैक को बैक मे प्रस्तुत करने पर भुगतान हो जायेगा।

14. इस निमित्त प्रस्तुत मामले में परिवादी अमर सिंह बतौर पी0डब्लू0-1 परीक्षित हुआ है, इस गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा साक्ष्य में परिवाद कथानक की पुष्टि करते हुए पत्रावली पर दाखिल दस्तावेजी साक्ष्य को प्रदर्श क-1 लगायत प्रदर्श क-6 के रूप में साबित करने का कथन किया किया है तथा अपनी प्रतिपरीक्षा साक्ष्य में यह कथन किया है कि *" मेरे पास 3-4 एकड़ जमीन तहसील कालाढूंगी एवं 29 एकड़ जमीन पंजाब प्रांत में है। मुझे दोनो जगह की खेती में लगभग 30-35 लाख रूपये की प्रति वर्ष आय होती है। उक्त आय में से मैं 5-7 लाख रूपये नगद रखता हू। बाकी किसान क्रेडिट कार्ड में जमा कर देता हू। मैं अभियुक्त मौ0 कासिफ को अपने पुत्र के दोस्त होने के नाते जानता हू। मैं अभियुक्त को 3-4 साल से जानता हू। अभियुक्त ने पैसे मुझसे वर्ष 2022 मे लिये थे। मेरे द्वारा अभियुक्त को पैसे नगद दिये गये थे जिसमें एक 60 हजार रूपये धनराशि का चैक भी था। मेरे पुत्र ने खेती के अतिरिक्त होमस्टे का कार्य भी किया है। होम स्टे योजना से प्रतिवर्ष 3-4 लाख रूपये की आय प्राप्त हो जाती है। मेरे द्वारा अभियुक्त को*

जब धनराशि दी गयी थी तो उनसे एक चैक जिसमें एक भरा हुआ था और एक खाली था। भरा हुआ चैक प'त्रावली में कागज संख्या 6क/2 पर मौजूद है। साक्षी ने चैक की शिनाख्त की। अभियुक्त के खाते का एक खाली चैक मेरे घर पर रखा है। मेरे लड़के द्वारा अभियुक्त से धनराशि को वापस अदा करने के लिए कहा गया था। तारीख मुझे याद नहीं है। मेरे पुत्र के द्वारा 15–20 दिन के बाद धनराशि के वापस करने के लिये कहा था। मेरे द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को नोटिस भेजा गया था। पत्रावली में कागज संख्या 6क/6 एवं 6क/7 पर संलग्न नोटिस की मूल प्रति संलग्न है जबकि साक्षी द्वारा कहा गया कि अभियुक्त को नोटिस मिला था।'' परिवादी के प्रतिपरीक्षा साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि परिवादी ने उक्त प्रश्नगत चैंक को अभियुक्त द्वारा दिये जाने का कथन किया है। जहाँ तक अभियुक्त का अपने बयान अन्तर्गत धारा–251 एवं 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में यह कहा जाना कि ब्लैंक चैक दिये जाने का प्रश्न है तो इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विरेन्द्र सिंह बनाम मुकेश कुमार 2019 4 एससीसी 197 में अभिनिर्धारित किया गया है कि–*A meaningful reading of the provisions of the Negotiable Instruments Act including, in particular, Sections 20, 87and 139, makes it amply clear that a person who signs a cheque and makes it over to the payee remains liable unless he adduces evidence to rebut thier presumption that the cheque had been issued for payment of a debt or in discharge of a liability. It is immaterial that the cheque may have been filled in by any person other than the drawer, if the cheque is duly signed by the drawer. If the cheque is otherwise valid, the penal provisions of Section 138 would be attracted. If a signed blank cheque is voluntarily presented to a payee, towards some payment, the payee may fill up the amount and other particulars. This is itself would not invalidate the cheque. The onus would still be on the accused to prove that the cheque was not in discharge of a debtor liability by adducing evidence.''*पत्रावली पर दाखिल साक्ष्य से स्पष्ट है कि अभियुक्त द्वारा स्वेच्छा से चैक परिवादी को दिया था। यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाए कि अभियुक्त द्वारा परिवादी को ब्लैंक चैक दिया गया था तो उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत में

प्रतिपादित सिद्धान्त से स्पष्ट है कि अभियुक्त द्वारा दिया गया ब्लैंक चैक वैध है तथा उसका कोई लाभ अभियुक्त को प्रदान नहीं किया जा सकता। धारा 139 परक्राम्य लिखत अधिनियम यह प्रावधान करती है कि *''जब तक कि अन्यथा साबित न कर दिया जाये, यह उपधारणा की जायेगी कि चैक के धारक ने वह चैक धारा 138 में निर्दिष्ट किसी ऋण अथवा अन्य दायित्व के भागतः या पूर्णतः उन्मोचन के लिए प्राप्त किया है।''* अभियुक्त का मात्र यह कथन कि उसने चैक परिवादी को ब्लैंक चैक सिक्योरिटी के रूप में दिया था, परिवादी के पक्ष में उक्त उपधारणा के खण्डन हेतु पर्याप्त नहीं है। अभियुक्त के पास सफाई साक्ष्य के स्तर पर यह अवसर उपलब्ध था कि वह अपने उक्त तथ्य को दस्तावेजी साक्ष्य के माध्यम से साबित कर सकता था, परन्तु अभियुक्त की ओर से ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर दाखिल नहीं किया गया। ऐसे में यह तथ्य पूर्णतः स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत चैंक अभियुक्त द्वारा परिवादी अमर सिंह से उधार ली गई धनराशि के पश्चात् उत्पन्न हुई देनदारी के भुगतान स्वरूप परिवादी के पक्ष में हस्ताक्षरित कर जारी किया गया है।

15. इस प्रकार उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त द्वारा अपने बयान अन्तर्गत प्रस्तुत किए गए तर्कों के माध्यम से परिवादी वृतांत एवं साक्ष्य को पर्याप्त रूप में खण्डित करने में असफल रहा है, जिससे यह तथ्य सुस्पष्ट हो जाता है कि अभियुक्त द्वारा प्रश्नगत चैक का परिदान परिवादी को विधिता प्रवर्तनीय दायित्व के उन्मोचन स्वरूप किया था। तद्नुसार, प्रथम अवधारणीय बिन्दु का निर्धारण परिवादी के पक्ष में होने योग्य है।

16. प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम अवधारणीय बिन्दु का निस्तारण के बाद इस न्यायालय को यह विनिश्चय करना है कि क्या प्रश्नगत चैक भुगतान हेतु न्यायालय में प्रस्तुत करने पर बैंक द्वारा अनादरित कर दिया गया। इस संदर्भ में परिवादी का अभिकथन है कि परिवादी ने उक्त चैक को भुगतान हेतु उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक शाखा रामनगर स्थित अपने खाते में जमा किया तो बैंक रिटर्न मैमो की टिप्पणी अपर्याप्त धनराशि के साथ उक्त चैक अनादृत होने की सूचना परिवादी को प्राप्त हुई। अपने उक्त कथन के समर्थन में परिवादी द्वारा बैंक रिटर्न मैमो प्रदर्श क–2 न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जिसमें प्रश्नगत चैक संख्या 294092 के अनादरित होने का कारण खाता बन्द

है। अतः परिवादी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त साक्ष्यों के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि परिवादी यह साबित करने में सफल रहा है कि प्रश्नगत चैक भुगतान हेतु पेश करने पर बैंक द्वारा अनादरित कर दिया गया हो।

17. उपरोक्त दोनों अवधार्य बिन्दुओं के निस्तारण के बाद अब न्यायालय को निश्चित करना है कि क्या परिवादी द्वारा धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम के परन्तुक ग के अनुसार विधिक नोटिस की तामीली उपरान्त भी अभियुक्त ने परिवादी को चैक की धनराशि अदा नहीं की। प्रस्तुत मामले में परिवादी द्वारा अपने परिवाद पत्र में दिनांक 11.10.2022 को प्रश्नगत चैक के अनादरण की सूचना व भुगतान की मांग करने हेतु विधिक नोटिस भेजे जाने का कथन किया गया है, जो अभियुक्त को दिनांक 15.09. 2022 को प्राप्त हो गया था। अपने कथनों के समर्थन में परिवादी द्वारा विधिक नोटिस दिनांकित 26.08.2022 व नोटिस भेजने की रजिस्ट्री रसीद दिनांकित 26.08.2022 की छायाप्रति प्रस्तुत की है। चैक अनादरण मैमो दिनांक 03.08. 2022 का है। अतः परिवादी द्वारा अभियुक्त को विधिक नोटिस चैक अनादरण होने के 30 दिनों के अन्दर भेजा गया। अभियुक्त द्वारा अपने धारा 251 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयानों में भी नोटिस प्राप्त होने का कथन किया गया है। तद्नुसार उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह अवधार्य बिन्दु परिवादी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

18. जहां तक चतुर्थ अवधार्य बिन्दु कि क्या अभियुक्त धारा 138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अन्तर्गत दोषसिद्ध किये जाने योग्य का प्रश्न है, तो उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि परिवादी द्वारा धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 के समस्त आवश्यक तत्वों को अपने पक्ष में सिद्ध किया गया है। परिवादी, अभियुक्त मौ0 कासिफ के विरुद्ध धारा 138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अन्तर्गत आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। अभियुक्त के विरुद्ध धारा 138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम, 1881 का अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित होता है। तद्नुसार अभियुक्त मौ0 कासिफ को पराक्रम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अन्तर्गत दोषसिद्ध किया जाता है।

19. अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित है। उसे न्यायिक अभिरक्षा में

लिया जाता है। अभियुक्त के जमानत पत्र व बन्धपत्र निरस्त कर जमानतियों को जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है। सजा के प्रश्न पर सुनने हेतु पत्रावली कुछ समय पश्चात पेश हो।

दिनांकः—09.11.2023

(कुलदीप नारायण)
न्यायिक मजिस्ट्रेट / सिविल जज(जू0डि0),
रामनगर, जिला नैनीताल

20. पत्रावली प्रस्तुत। सिद्धदोष मौ0 कासिफ को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि अभियुक्त को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। वह गरीब है तथा उसके परिवार में देखभाल करने वाला उसके सिवाए कोई नहीं है, इसलिए कम से कम दण्ड दिये जाने की याचना की गयी है। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियुक्त को कठोर से कठोर दण्ड दिये जाने की याचना की गयी है।

21. अतः उपरोक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत न्यायालय के मत में सिद्धदोष मौ0 कासिफ को पराक्रम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अन्तर्गत निम्नलिखित सजा से दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा।

<u>—आदेश—</u>

अभियुक्त मौ0 कासिफ पुत्र ममनून रागिब निवासी—गंगे बाबा रोड, किला स्ट्रीट, काशीपुर जिला उधमसिंह नगर को पराक्रम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।

(ii) अभियुक्त मौ0 कासिफ को पराक्रम्य लिखत अधिनियम, 1881 की ध ारा 138 के अन्तर्गत एक (01 वर्ष) वर्ष के साधारण कारावास एवं रुपये 8,50,000 / — (साढे आठ लाख रूपये) जुर्माने की सजा से दण्डित किया जाता है। उक्त जुर्माने की राशि में से धारा 357(03) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अन्तर्गत परिवादी रूपये 8,40,000 / — (आठ लाख चालीस हजार रूपये) बतौर प्रतिकर प्राप्त करेगा तथा रूपये 10,000 / —(दस हजार रूपये) राज्य के पक्ष में जमा करेगा। अभियुक्त द्वारा जुर्माना अदा न करने की दशा में तीन (03) माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा।

(iii) अभियुक्त मौ0 काशिफ द्वारा प्रस्तुत बंधपत्र एवं जमानत प्रपत्र अन्तर्गत धारा–437क दण्ड़ प्रक्रिया संहिता, 1973, अगले छः माह तक प्रवृत्त रहेंगे। इस दौरान उच्चत्तर न्यायालय में अपील न होने की स्थिति में स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे।

(iv) अभियुक्त द्वारा इस आपराधिक मुकदमे में पूर्व में भोगी गयी सजा की अवधि, यदि कोई हो, नियमानुसार कारावास के दण्ड में समायोजित की जायेगी।

अभियुक्त को निर्णय की एक प्रति अविलम्ब निःशुल्क प्रदान की जाये।

दिनांकः–04.01.2024

(कुलदीप नारायण)
न्यायिक मजिस्ट्रेट / सिविल जज (जू0डि0),
रामनगर, जिला नैनीताल

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

दिनांकः–04.01.2024

(कुलदीप नारायण)
न्यायिक मजिस्ट्रेट / सिविल जज (जू0डि0),
रामनगर, जिला नैनीताल

परिवादी/प्रतिपरीक्षा/न्यायालय के साक्षियों की सूची–

कः परिवादी साक्षी।

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति चश्मदीद/पुलिस /विशेषज्ञ/चिकित्सक/पंच/ अन्य
पी0डब्ल्यू0 01	अमर सिंह	परिवादी
पी0 डब्ल्यू 02	हरभजन सिंह	गवाह

खः प्रतिरक्षा साक्षी, यदि कोई होः कोई नहीं।
गः न्यायालय के साक्षियों की सूचीः कोई नहीं।

परिवादी पक्ष/बचाव पक्ष/न्यायालयों के दस्तावेजों की सूची–

कः परिवादी दस्तावेजी साक्ष्य

कम संख्या	**प्रदर्श संख्या**	**विवरण**
01	प्रदर्श क–1	मूल चैक संख्या 294092
02	प्रदर्श क–2	बैंक रिटर्न मैमो
03	प्रदर्श क–3	नोटिस दिनांक 26.08.2022 मूल प्रति
04	प्रदर्श क–4	मूल डाक रसीद
05	प्रदर्श क–5	नोटिस लिफाफा मय ए0डी कार्ड मूल रूप मे।
06	प्रदर्श क–6	नोटिस लिफाफा मय ए0डी कार्ड मूल रूप में।
07	प्रदर्श क–7	परिवाद पत्र
08	प्रदर्श क–8	परिवादी साक्ष्य शपथ पत्र।

खः बचाव पक्ष दस्तावेजी साक्ष्यः

कम संख्या	**प्रदर्श संख्या**	**विवरण**
01	—	—

गः न्यायालय प्रदर्शः

कम संख्या	**प्रदर्श संख्या**	**विवरण**
01	—	—

दिनांकः–04.01.2024

(कुलदीप नारायण)
न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज (जू0डि0),
रामनगर, जिला नैनीताल